कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email-jdanic-jod-rj@nic.in osc&IkbZV jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक /बैठक/2023 / 2323 दिनांकः–27 जून 2023

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की बैठक श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एंव अध्यक्ष, भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की अध्यक्षता में दिनांक 27 जून 2023 को दोपहर 02.00 बजे अयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्य /अधिकारीयों का विवरण परिशिष्ट –1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: राजस्व ग्राम खारड़ा रणधीर के खसरा संख्या 82, किस्म गै.मु. मगरा, कुल रकबा 10–02 बीघा में से 5 बीघा भूमि में रा.उ.प्रा.विद्यालय, खारड़ा रणधीर को आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम खारड़ा रणधीर के खसरा संख्या 82, किस्म गै.मु. मगरा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खारड़ा रणधीर प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम खारड़ा रणधीर के खसरा संख्या 82, किस्म गै.मु. मगरा, कुल रकबा 10–02 बीघा में से 5 बीघा भूमि रा.उ.प्रा. विद्यालाय, खारड़ा रणधीर को आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण तहसीलदार, भू.अ. निरीक्षक व पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका एवं स्वामित्व रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे की भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर विद्यालय संचालित हो रहा है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेण्ट प्लान/जोनल डवलपमेण्ट प्लान अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। डी.सी.आर. अनुसार Government/Public Utilities को Permissible on all road दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केस रजिस्टर के अनुसार उक्त भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है। प्राधिकरण की अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में अवाप्ति की कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है।

प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है, जिसके क्रम में आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 05/07/2021 के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु सम्भागीय मुख्यालय पर 2000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है। इस सीमा से अधिक आवंटन की स्थिति में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

Scanned with OKEN Scanner

अतः राजस्व ग्राम खारड़ा रणधीर के खसरा संख्या 82, किस्म गै.मु. मगरा, कुल रकबा 10–02 बीघा में से 5 बीघा भूमि में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खारड़ा रणधीर प्रयोजनार्थ भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में राजस्व ग्राम खारड़ा रणधीर के खसरा संख्या 82, किस्म गै.मु. मगरा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खारड़ा रणधीर हेतु आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत 2000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आंवटित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2	::	**ग्राम मथानिया के खसरा संख्या 69 में 500 एम.टी. गोदाम निर्माण हेतु रकबा 20 बीघा भूमि आवंटन बाबत्।**

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोशणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम मथानिया के खसरा संख्या 69 में 500 एम.टी. गोदाम निर्माण हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

मुख्य व्यवस्थापक मथानिया क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम मथानिया के खसरा संख्या 69 में 500 एम.टी. गोदाम निर्माण हेतु रकबा 20 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मथानिया प्रथम के खसरा संख्या 69/2 रकबा 5.6656 हैक्टेयर किस्म गै.मु.गोचर राजस्व जमाबंदी अनुसार उक्त भूमि का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर मे निहित है। उक्त भूमि में एक तरफ महिला महाविद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है एवं शेष भाग रिक्त है। रिक्त भूमि त्रिभुजाकार आकृति में है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग एमडीपी/जेडडीपी अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है व पीडब्ल्युडी से प्राप्त डाटा अनुसार हाइवे पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार 200 फुट व तदोपरान्त 100 फुट वृक्षारोपण पट्टी हेतु भूमि आरक्षित रखी जानी है। गोदाम प्रयोजन का उल्लेख नही है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 69/2 ग्राम मथानिया प्रथम से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मथानिया के खसरा संख्या 69 में 500 एम.टी. गोदाम निर्माण हेतु रकबा 20 बीघा की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 22/03/2023 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

अतः ग्राम मथानिया के खसरा संख्या 69/2 में 500 एम.टी. गोदाम निर्माण प्रयोजनार्थ हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से ग्रामीण क्षेत्र के डी.सी.आर अनुसार गैस गोदाम को अनुज्ञेय किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए एंव नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 जयपुर, दिनांक 08 जून 2020 के अनुरूप उपरोक्त प्रस्ताव में ग्राम मथानिया के खसरा संख्या 69 में से 500 एम.टी. गोदाम निर्माण हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि कीमतन आंवटित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 ::	**ग्राम जम्भेश्वर नगर कांकाणी के खसरा संख्या 950/2 किस्म सेवज दोयम रकबा 1.2258 हेक्टेयर भूमि रीको लिमिटेड को औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।**

वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको लिमिटेड, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर ग्राम जम्भेश्वर नगर कांकाणी के खसरा संख्या 950/2 किस्म सेवज दोयम रकबा 1.2258 हेक्टेयर भूमि रीको लिमिटेड को औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम के मौका निरीक्षण अनुसार ग्राम जम्भेश्वर नगर के खसरा संख्या 950/2 रकबा 1.2258 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है एवं मौके पर रिक्त पाई गई। उक्त भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित नदी के उपरांत 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जाना है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 में औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। उक्त भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित नदी के उपरांत 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जाना है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार ग्राम जम्भेश्वर नगर के खसरा संख्या 950/2 से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 613 दिनांक 08.06.2023 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है। जिसमें आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः प्रकरण ग्राम जम्भेश्वर नगर कांकाणी के खसरा संख्या 950/2 किस्म सेवज दोयम रकबा 1. 2258 हैक्टेयर भूमि रीको लिमिटेड को औद्योगिक प्रयोजनार्थ सशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एवं संपति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में ग्राम जम्भेश्वर नगर कांकाणी के खसरा संख्या 950/2 किस्म सेवज दोयम रकबा 1.2258 हेक्टेयर भूमि रीको लिमिटेड को औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु कीमतन आंवटित करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यावद समाप्त हुई।

(जय नारायण मीणा)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक /बैठक/2023/2324-29 दिनांक:- 27 जून 2023

प्रतिलिपी वास्ते सचूनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 निजी सचिव, अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय ,जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर

2 निजी सचिव, सचिव महोदय , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर

3 निदेशक, अभियांत्रिकी/आयोजना/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

4 उपायुक्त–जोन 1/2/3/4/5/6, उप सचिव ,जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

5 सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

6 ....

(जय नारायण मीणा)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner